फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण भारती **विपक्षी : श्री उंकार भारती**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 30/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.02.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा संशोधित शीर्षक मय दस्तावेज पेश किये। शामिल फाईल रहें। विपक्षीगण सं. 1 से 15 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 10 व विपक्षी सं. 11 से 15 के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (उपेन्द्र कुमार शर्मा) सहायक कलक्टर (FT) मावली Signature Not Verified	

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested